संख्या 1212/उन्तीस (2)/08-2(139पे0)/2007

प्रेषक,

एम0एच0 खान,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य महाप्रबन्धक,
उत्तराखण्ड जल संस्थान,
देहरादून।

पेयजल अनुभाग-2 देहरादून : दिनांक 08 अगस्त ~~जून~~, 2008

विषय :- ग्रामीण पेयजल योजनाओं के रखरखाव हेतु वित्तीय वर्ष 2008-09 में अनुदान।

महोदय,

कृपया अपने कार्यालय के पत्र संख्या 5401/वि0अनु0/02/अनुदान/2007-08 दिनांक 09.01.2008 का संदर्भ ग्रहण करें। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गढ़वाल एवं कुमायु परिक्षेत्र की ग्रामीण पेयजल योजनाओं के रखरखाव हेतु रू0 200.25 लाख (रू0 दो करोड़ पचीस हजार मात्र) की धनराशि निम्नांकित प्राविधानों के अधीन निम्न विवरणानुसार आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	योजना का नाम	स्वीकृत लागत
01	02	03
01	गढ़वाल परिक्षेत्र की ग्रामीण पेयजल योजनाओं के रखरखाव हेतु जी0आई0 पाईप एंव फिटिंग की आपूर्ति।	111.04
02	कुमायूं परिक्षेत्र की ग्रामीण पेयजल योजनाओं के रखरखाव हेतु जी0आई0 पाईप एंव फिटिंग की आपूर्ति।	89.21
	कुल योग :-	200.25

2. स्वीकृत धनराशि का आहरण मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल देहरादून के कोषागार में प्रस्तुत करके किया जायेगा। आहरण से सम्बन्धित बाउचर संख्या एवं दिनांक की सूचना शासन एव महालेखाकार को तत्काल उपलब्ध कराई जाय।

3. चूंकि धनराशि ग्रामीण पेयजल योजनाओं के रखरखाव हेतु अनुदान के रूप में अवमुक्त की जा रही है। अतः कार्यो के सापेक्ष जल संस्थान को सैन्टेज प्रभार अनुमन्य नहीं होगा।

4. पाईप आदि के क्रय करने में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमैंट) रूल्स, 2008 का अनुपालन किया जायेगा।

5. योजना में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों तथा जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

.............2

6. कार्य कराने से पूर्व सम्बन्धित प्रत्येक पेयजल योजनाओं में किये जाने वाले रखरखाव कार्यो का पृथक-पृथक विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

7. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत मानक है, स्वीकृत मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

8. एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

9. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताए तकनीकी दृष्टि के मध्यनजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग/विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

10. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

11. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

12. यह सुनिश्चित किया जाय कि प्रत्येक पेयजल योजनाओं के संचालन और रखरखाव कार्यो का तथा प्राप्त होने वाले राजस्व की कुल मांग व वास्तविक वसूली के वर्षवार विवरण/लेखा रखा जायेगा ताकि प्रत्येक पेयजल योजना के संचालन से प्राप्त राजस्व व संचालन/रखरखाव कार्यो के वर्षवार आंकडे नियमित रूप से रखे जा रहें है।

13. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 में अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-"2215-जलापूर्ति तथा सफाई-01-जलापूर्ति- आयोजनागत-102-ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम- 03-ग्रामीण पेयजल राज्य सेक्टर-00-20-सहायक अनुदान/अंशदान/ राज सहायता " के नामे डाला जायेगा।

14. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 259/XXVII (2)/2008 दिनांक 13 जून, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(एम0एच0 खान)
सचिव

पृ0सं0 1212 /उन्तीस (2)/08-2(139पे0)/2007 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग-2/वित्त (बजट सैल)/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड।
7. निजी सचिव, मा0 पेयजल मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
8. स्टाफ आफीसर-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
9. प्रभारी अधिकारी, मीडिया सैन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।

........3

10. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
11. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(टीकम सिंह पँवार)
संयुक्त सचिव